राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 42/2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 रघुनाथपुरा बनाम **श्री रामेश्वर पुत्र श्री हीरा जाति जाट नि. रघुनाथपुरा**

1

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 09.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी खसरा नंबर 05 किस्म चारागाह रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ लगाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी ने पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी कोई साक्ष्य सबूत पेश करना नही चाहा। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाकर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मामला निर्णीत जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी खसरा नंबर 05 किस्म चारागाह रकबा 0.1618 हैक्टेयर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.20 का 50 गुणा 10/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या 24 पर रु. 10/- की मांग कायमी की गई। 22/9/22
तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
रूपनगढ(अजमेर)

Scanned by CamScanner